राजस्थान उच्च न्यायालय, जयपुर पीठ, जयपुर।

:: निर्णय ::

S.B. Civil Revision Petition No. 14/2018

Israil S/o Sh. Sanora, B/c Mev, R/o Village Thekda, Tehsil And Distt. Alwar Raj

----Petitioner/Defendant

Versus

Ramesh Chand Singhal, S/o Late Sh. Sampat Ram Singhal B/c Mahajan, R/o Sarrafa Bazar, Alwar At Present R/o Plot No. 109, South West Block, Alwar Raj

----Respondent/Plaintiff

:: उपस्थित ::

माननीय न्यायाधिपति श्री महेन्द्र माहेश्वरी

याची–प्रतिवादी के अधिवक्ता श्री विपुल जैन।

निर्णय दिनांक 13.11.2018

न्यायालय द्वारा :–

अधीनस्थ न्यायालय, वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश, अलवर द्वारा सिविल वाद संख्या–**28/2017** में पारित आदेश दिनांकित **07.12.2017,** जिसके तहत याची–प्रतिवादी की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अंतर्गत **आदेश 7 नियम 11 सिविल प्रक्रिया संहिता**

खारिज किया गया, से व्यथित होकर याची–प्रतिवादी की ओर से यह **सिविल रिवीजन याचिका** प्रस्तुत की गई है।

बहस सुनी गई। योग्य अधिवक्ता याची–प्रतिवादी का कथन रहा कि अधीनस्थ न्यायालय में वादी की ओर से प्रस्तुत वादपत्र में उल्लेखित अभिवचनों के अनुसार पक्षों के मध्य इकरारनामा दिनांक **06.08.2010** को निष्पदित हुआ है एवं इकरारनामा की शर्तों के तहत दिनांक **05.08.2011** तक याची–प्रतिवादी द्वारा वादी को **ढाई लाख रूपये** की राशि अदा करनी थी, अन्यथा वादी को विवादित आराजी अपने नाम पंजीकृत करवाने का अधिकार रहेगा। इस क्रम में उनका कथन रहा कि वादी को वादकारण दिनांक **05.08.2011** से **तीन वर्ष** की अवधि तक उपलब्ध था, लेकिन इस तथ्य को नजरअंदाज कर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा याची–प्रतिवादी का प्रार्थना पत्र खारिज किया गया है। अतः यह सिविल रिवीजन याचिका स्वीकार कर आक्षेपित आदेश अपास्त किये जाने की प्रार्थना की गई।

समस्त तथ्यों पर विचार किया गया। इस न्यायालय की राय में वादपत्र में अंकित अभिवचनों एवं इकरारनामा में जिस तिथि तक राशि लौटाने के बाबत तथ्य प्रकट किया गया है, उस अवधि में प्रतिवादी द्वारा राशि नहीं लौटाने एवं वादी द्वारा प्रतिवादी के बैंक खाते में पूर्व में राशि जमा कराये जाने से करार के क्रम में परिस्थितियों में जो परिवर्तन हुआ है, उस क्रम में **मियाद अधिनियम के आर्टिकल 54** के तहत मियाद का बिन्दु तय किया जा सकता है। इन तथ्यों को ध्यान में रखते हुए **इस स्टेज पर** आक्षेपित आदेश में किसी प्रकार की त्रुटि होना प्रकट नहीं होता है। अतः यह सिविल रिवीजन याचिका खारिज किये जाने योग्य है।

परिणामतः याची–प्रतिवादी की ओर से प्रस्तुत यह सिविल रिवीजन याचिका खारिज की जाती है।

यह आदेश/निर्णय आज दिनांक **13.11.2018** को भारतीय संविधान के अनुच्छेद **348 (i)** के तहत भारत सरकार की अधिसूचना राजपत्र संख्या**–1, दिनांक 02 जनवरी, 1999** एवं राजस्थान राजपत्र दिनांकित **10.03.1971** के तहत हिन्दी भाषा के प्रयोग को प्राधिकृत किये जाने के परिणामस्वरूप हिन्दी भाषा में लिखाया गया।

(महेन्द्र माहेश्वरी)
न्यायाधिपति

थावानी/–